Title: Need to ensure timely payment of old age pension amount to the beneficiaries in Madhya Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Matters under Rule 377.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to ensure timely payment of old age pension amount to the beneficiaries in Madhya Pradesh.

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में निराश्रित व विधवा तथा वृद्धों को दी जाने वाली केन्द्रीय निराश्रित पेंशन राशि का भुगता छः-छः महीने नहीं होता। सतना जिला व समूचे विन्ध्य संभाग के सीधी-शहडोल, रीवा-पन्ना, दमोह तथा कटनी जिलों में निराश्रित पेंश राशि गत छः-सात महीने से वितरित नहीं की गई।

इतना ही नहीं, यह निराश्रित पेंशन राशि जब बंटती भी है तो छः-छः माह की पेंशन राशि का भुगतान मास्टर रूल बनाकर कई पंचायतों में मात्र एक माह की पेंशन देकर अनपढ़ निराश्रितों व विधवाओं से छः माह के भुगतान के वाउचर्स पर हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं।

अतः भारत सरकार से निवेदन है कि निराश्रितों की पेंशन प्रतिमाह बँटवाई जाए तथा प्रत्येक माह के वाउचर लिये जाएं तथा छः-छः माह के वाउचर पर हस्ताक्षर न कराये जाएं।